PIIL:SEC:BSE/NSE:10:2026-27
May 21, 2026

BSE Limited Corporate Relationship Department PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Code No. 523642**	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Code No. PIIND**

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper Advertisement for the Audited Financial Results– March 31, 2026

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in the following newspapers with respect to Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2026:

- **The Economic Times** (National daily newspaper - All India English Edition) on May 21, 2026
- **Dainik Bhaskar** (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on May 21, 2026
- **Rajasthan Patrika** (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on May 21, 2026

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **PI Industries Limited**

SHRUTI RATNAKAR JOSHI
Digitally signed by SHRUTI RATNAKAR JOSHI
Date: 2026.05.21 18:07:00 +05'30'

Shruti Joshi
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

AFTER RIL, PARTNERS TELL COURT THEY WOULD WRITE TO GOVT...

KG Basin Case: SC Refuses to Pause Hearing for 'Mediation'

Indu Bhan

New Delhi: Reliance Industries and its two foreign partners— UK-based BP Exploration (Alpha) and Niko Resources of Canada— on Wednesday told the Supreme Court that they would be writing to the government to resolve the Krishna-Godavari basin gas migration dispute through mediation.

The three companies wanted a bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M Pancholi to stop the hearing in the case till the mediation is over as they wanted "attempt mediation" for deciding the case.

However, Attorney General R Venkataramani, appearing for the government, opposed the request and asked the apex court to continue with the hearing.

"If, in the meantime, anything will happen, we will inform the court," the AG said.

The bench also declined the joint request, saying "if you come with a successful mediation, wonderful. We will dispose of the matter then."

The SC has since Tuesday started final hearing on the three appeals led by Reliance Industries against a February 2025 decision of the Delhi High Court, which set aside a 2018 international arbitration ruling favouring the Mukesh Ambani-owned company in a $1.73-billion dispute with ONGC over gas migration in the Krishna Godavari basin.

While setting aside the arbitration award of July 24, 2018, for being contrary to the settled position of law, the HC had accepted the government's plea that Reliance and its foreign partners— UK-based BP Exploration (Alpha) and Niko Resources of Canada—of committing an "insidious fraud" and "unjust enrichment of over $1.729 billion" by siphoning gas from deposits they had no right to exploit.

Peak Power Demand Hits 265.4 GW

New Delhi: India's peak power demand continues to scale fresh highs, touching a record 265.4 GW on Wednesday as heatwave conditions and high temperatures persisted across large parts of the country.

The latest peak surpassed Tuesday's all-time high of 260.5 GW recorded during solar hours. The latest demand levels have already crossed last summer's record peak of 243 GW, and even those recorded during the evening. The peak demand recorded is inching closer to the projected 271 GW for the season.

Most of the peak consumption was met by thermal power contributing 61.2%, solar energy came next with 21.5%, wind and hydro contributed over 6% each, while nuclear contributed 2.6%, among contributions from other sources, an industry official said.

According to a person familiar with the matter, the power ministry has prepared and ensured available capacity to meet peak demand of up to 280 GW.

A power ministry statement issued after Monday's peak demand touched 257.37 GW said the country has adequate electricity availability. **Our Bureau**

offcom We Care

VERTIV.

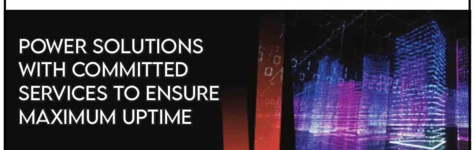

- UPS Systems
- Energy Storage: Lead Acid & Li-ion Batteries
- Energy & Power Audits
- Harmonic & PF Correction Filters
- Transformers & Stabilizers
- Green Energy Solutions

- Data Centers (E & M Infra)
- Precision Air Conditioning for Data Centres; Server, UPS & Panel Rooms
- Smart Cool Racks/Cabinets
- Intelligent PDUs & DCIM

Our Key Customers

SONY, GOODYEAR, LG, Amway, orange, JAYPEE, asianpaints, Canon

OFFCOM SYSTEMS PVT. LTD.

Phone: 9811205605, 9873443571
E-mail: sales@offcomindia.com, we.care@offcomindia.com.
Branches: Mumbai, J&K, Chandigarh, Bhopal, Lucknow, Dehradun, Kolkata.
Website: www.offcomindia.com

HAVELLS

HAVELLS INDIA LIMITED
Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Corporate Off. : QRG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida - 201 304
Tel. # 0120-3331000, **Fax** # 0120-3332000, **web:** www.havells.com
Email: investors@havells.com, **CIN** - L31900DL1983PLC016304

NOTICE

(A) Notice is hereby given that the 43rd AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 19th June, 2026, Friday at 2:00 p.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2023 09/2024 and 03/2025 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. Company's Registered Office i.e. 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, KG Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001 will be considered as venue for the purpose of the AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Integrated Annual Report for the Financial Year 2025-26 have already been emailed to all shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company. The emailing of all Notices has been completed on 15th May, 2026. For all those shareholders who have not so registered, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available, as well as a QR Code, has been sent on 18th May, 2026, at their address registered with the Company or as available from the data downloaded from the depositories.

(B) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means and the businesses may be transacted through such voting. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM, for those Members who have not already cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed Balika Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4816, COP No. 3222), as Scrutinizer for conducting the voting in a fair and transparent manner.

a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 12th June, 2026, may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th June, 2026 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.com or investors@havells.com by mentioning his/ her Folio No./ DP ID and Client ID No. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

b) The remote e-voting period commences on Tuesday, 16th June, 2026 (8:30 am) and ends on Thursday, 18th June, 2026 (5:00 pm). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

c) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

d) The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the Members participating in the AGM through VC/ OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.

e) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.

g) Members may note that the Notice of the 43rd Annual General Meeting and the Integrated Annual Report for FY 2025-26 are also available on the Company's website www.havells.com, the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com as well as on the websites of the stock exchanges, namely, NSE & BSE and can be made available for inspection by writing to the Company at investors@havells.com

h) Members may contact Shri Sanjay Kumar Gupta, Company Secretary, for any grievances connected with voting by electronic means at the Corporate Office of the Company at Tel.+91-120-3331000; Email: investors@havells.com

For Havells India Limited
Sd/-
Sanjay Kumar Gupta
Company Secretary

Scan QR Code for 43rd Annual Report

Noida, May 20, 2026

IOL

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH 2026

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
		31.03.2026 (Refer Note 3)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Refer Note 3)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Refer Note 3)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Refer Note 3)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations	621.19	585.68	532.30	2,340.34	2,101.61	621.29	585.68	532.31	2,340.44	2,101.62
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	70.83	38.76	44.90	195.65	137.89	70.81	38.76	44.70	195.57	137.96
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	70.83	27.55	44.90	184.44	137.89	70.81	27.55	44.70	184.36	137.96
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	53.18	20.58	31.62	137.72	101.00	53.16	20.58	31.42	137.64	101.07
5	Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	55.89	20.72	31.64	140.32	99.56	55.87	20.72	31.44	140.24	99.63
6	Equity share capital	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71	58.71
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserve)	1,739.67	1,713.13	1,628.70	1,739.67	1,628.70	1,739.84	1,713.32	1,628.95	1,739.84	1,628.95
8	Earning per equity share of ₹2/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualised except for the year ended 31-Mar-2026 & 31-Mar-2025) Basic and Diluted ₹	1.81	0.70	1.08	4.69	3.44	1.81	0.70	1.07	4.69	3.44

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31stMarch 2026filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results is available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com&www.nseindia.com and on the Company's website www.iolcp.com.
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 20th May 2026.
3. The figures for the quarter ended 31st March 2026 and 31st March 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year-to-date figures up to the third quarter of the respective financial years, which were subjected to limited review.

The financial results can be accessed by scanning the QR Code:

For IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Vikas Gupta
Joint Managing Director
DIN: 07198109

Place: Ludhiana
Date: 20th May 2026

Regd Office: Village & Post Office Handiaya, Fatehgarh Channa Road, Barnala-148107, Punjab
Corporate Office: 85, Industrial Area 'A', Ludhiana-141003 (Punjab)
CIN: L24116PB1986PLC007030, Tel: +91-161-2225531-35, E-mail: contact@iolcp.com, www.iolcp.com

PI Industries Limited

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(In ₹ Million)

PARTICULARS	CONSOLIDATED				
	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	**16,408**	**14,424**	**18,605**	**70,244**	**83,220**
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)	**3,373**	**3,027**	**4,569**	**17,053**	**21,833**
Profit before exceptional items and tax	3,025	2,578	4,322	15,930	21,420
Exceptional items gain/(loss)	(20)	1,051	-	1,031	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	**3,005**	**3,629**	**4,322**	**16,961**	**21,420**
Profit after tax (PAT)	**2,002**	**3,113**	**3,305**	**13,208**	**16,602**
Total Comprehensive Income	1,596	3,191	3,782	13,004	16,497
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 1/- each)	152	152	152	152	152
Total Reserves as at year ended March 31				112,153	101,418
Earning per Share*					
Basic (₹)	13.20	20.52	21.79	87.06	109.44
Diluted (₹)	13.20	20.52	21.78	87.06	109.42
PARTICULARS	**STANDALONE**				
Total Income from Operations	**14,625**	**13,459**	**17,164**	**64,904**	**78,718**
Profit before exceptional items and tax	3,696	3,655	5,058	19,312	23,957
Exceptional items gain/(loss)	(1,117)	(206)	-	(1,323)	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	2,579	3,449	5,058	17,989	23,957
Profit after tax (PAT)	**1,978**	**2,816**	**3,858**	**14,348**	**18,665**

* Actual for the quarter, not annualised.

Note

1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and the Company's website (www.piindustries.com).
2. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Company and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 19, 2026.
3. The Board of Directors at their meeting held on May 19, 2026 have recommended final dividend of ₹10 per equity share, subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. With this, total dividend for the year (including interim dividend of ₹5 per equity share paid during the year) is ₹15 per share.

Place : Mumbai
Date : May 19, 2026
Regd. Office : Udaisagar Road, Udaipur - 313001 (Rajasthan)
Phone : 0294 6651100 Fax: 0294 2491946
CIN : L24211RJ1946PLC000469

For PI Industries Limited
Sd/-
Mayank Singhal
Vice Chairperson & Managing Director
DIN : 00006651

आरएसएमएम के अधिकारी मामले को 39 दिनों में भी कंट्रोल नहीं कर पाए, कार्यशैली पर सवाल

गिरल लिग्नाइट माइंस : मजदूर आंदोलन और ट्रांसपोर्ट ठेके की लड़ाई से खनन थमा, 46 करोड़ रु. का नुकसान

उदयपुर | सरकारी खनन कंपनी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएम) की गिरल (बाड़मेर) स्थित लिग्नाइट खदान इन दिनों विवाद का केंद्र बनी हुई है। खदान में एक साथ दो विवाद के चलते सरकारी कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। खदान में कार्य करने वाले मजदूर 39 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आरएसएमएम के अधिकारियों ने विवाद को सुलझाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए। दूसरी ओर माइंस में ट्रांसपोर्टेशन का विवाद भी खड़ा हो गया है। कंपनी के कर्मचारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आरएसएमएम में ट्रांसपोर्टेशन के ठेके को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। यहां पूर्व में भी अन्य कंपनियों को ट्रांसपोर्टेशन का ठेका मिला है, लेकिन स्थानीय रसूखदारों की वजह से वे कार्य नहीं कर पाए। इस बार मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इधर, आरएसएमएम के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

बता दें कि गिरल माइंस से निकलने वाले लिग्नाइट से बिजली बनाई जाती है। लिग्नाइट खदान से रोजाना करीब 3 हजार टन माल का उत्पादन किया जाता है। यह लिग्नाइट करीब 4 हजार रुपए प्रति टन बेचा जाता है। खदान में कार्य बंद होने से रोजाना 1.20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह 39 दिनों में अब तक 46 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।

अधिकारी ठेकेदार और मजदूरों के बीच का विवाद बताकर जिम्मेदारी से बच रहे

इस मामले को लेकर बाड़मेर-जैसलमेर लिग्नाइट माइंस (आरएसएमएम) के जीएम अरुण सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले को कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वे एमडी के साथ मीटिंग में हैं।

वहीं, एमडी पी. रमेश ने कहा कि मजदूर धरने पर बैठे रहने का भी भुगतान मांग रहे हैं। जब कार्य नहीं हुआ तो ठेकेदार कैसे पेमेंट करेगा। यह ठेकेदार और मजदूरों के आपस का मामला है। रमेश के इस दावे से स्पष्ट है कि वो पूरे विवाद को मजदूर और ठेकेदार पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जबकि काम ठप होने से अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि एमडी ने यह भी दावा किया कि एक माह से टीमें मामले का हल निकालने में जुटी हुई हैं। उनकी मांग पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। खदान में जल्द काम शुरू होगा। कंपनी के कुछ इश्यू थे, उनका हल निकाल दिया गया।

लापरवाही : एक विवाद थमा नहीं था, दूसरा खड़ा हो गया

इधर माइंस के मजदूरों की ड्यूटी 8 घंटे तय करने, मजदूरों को कौशल के अनुसार वेतन देने, धरने पर बैठे मजदूरों को पूरा वेतन देने एवं कटौती नहीं करने, थुंबली में 40 घर आबादी भूमि के समीप बसे हुए लोगों को मुक्त करने सहित 22 मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच माइंस में ट्रांसपोर्टेशन का विवाद भी शुरू हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरल लिग्नाइट मजदूरों के आंदोलन को लेकर सोमवार को आदेश जारी किया था। आदेश के तहत लिग्नाइट परिवहन को शुरू करवाने को कहा है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के गृह सचिव, एसपी बाड़मेर, पुलिस थाना शिव व एसडीएम शिव को पालना करवाने का आदेश दिया। इसकी अवमानना करने पर गिरफ्तारी करने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया था कि कंपनी को परिवहन का ठेका मिला है और वे पूरी तरह से कानूनी रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पूर्व ठेकेदारों और स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियनें काम में बाधा पहुंचा रही हैं।

आरएसएमएम हर कार्य ठेके पर करवाता है : आरएसएमएम प्रदेश में लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइम स्टोन सहित कई खनिजों का खनन करती है। यहां मजदूर सप्लाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, खनन कार्य आदि के ठेके होते हैं। इन खदानों में ठेके देकर कार्य करवाया जाता है। कंपनी खदान को संभालने का कार्य करती है। यहां हर खदान में इनके अधिकारी तैनात रहते हैं।

उदयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एसोसिएशन की पहल, व्यापारियों ने मिलकर दी सहायता

एमबी हॉस्पिटल को मिले 18 जंबो कूलर, भीषण गर्मी में मरीजों-तीमारदारों को राहत

एमबी के वार्डों में गर्मी की मार; एक कूलर के सहारे 30 मरीज, राहत की जगह गर्म हवा

19 मई को प्रकाशित खबर।

इन व्यापारियों ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी

उदयपुर | भीषण गर्मी में एमबी हॉस्पिटल के वार्डों में मरीजों और तीमारदारों की परेशानी को लेकर सकारात्मक पहल सामने आई है। उदयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एसोसिएशन ने अस्पताल को 18 जंबो कूलर भेंट किए हैं।

इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने 20 मई के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश शाह के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों की बैठक हुई। सभी ने मरीजों की राहत के लिए एक-एक जंबो कूलर देने पर सहमति जताई। हॉस्पिटल प्रशासन की अनुमति के बाद कूलरों को चिह्नित वार्डों में लगाया जा रहा है। शाह ने कहा कि मरीजों की सेवा हमारी प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर आगे भी सहयोग जारी रहेगा।

इस पहल में राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स, नाकोड़ा इंटरप्राइजेस, एमएस एंड कंपनी, जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा, अजमेर डीजल, आलोक टांक, दिशा एंटरप्राइज, श्रीटेक सॉल्यूशंस, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, अनंत इंटरप्राइज, श्री सिद्धम इंटरप्राइजेस, संजरी इलेक्ट्रॉनिक्स, गणेश नेक्स्ट जोधपुर, हितार्थ सेल्स, ओम इलेक्ट्रॉनिक सेल एंड सर्विस, लिबर्टी मार्केटिंग, लिबर्टी एजेंसियां, जय जिनेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्रवाल एंटरप्राइजेस शोभागपुरा और सागर इलेक्ट्रॉनिक्स ने सहभागिता निभाई।

अस्पताल प्रशासन ने जताया आभार : एमबी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉ. राहुल जैन और अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने भास्कर की खबर और व्यापारियों के सहयोग को सराहनीय बताया। कार्यक्रम में सभी सहयोगियों का सम्मान किया गया। इस दौरान यूईटीए के सचिव केके गुप्ता, डॉ. एमपी जैन, डॉ. अजय जैन, सुभाष गुप्ता, सतीश पुरोहित, जम्बू दलावत, कुलदीप जोशी, सुशील वर्मा, मगन कलाल, गिरीश मनवानी आदि मौजूद रहे।

सीएमएचओ डॉ. आदित्य ने बैठक ली, गंभीरता से कार्य करने के दिए निर्देश

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं, ड्यूटी पर समय की पाबंदी जरूरी: सीएमएचओ

उदयपुर | शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बुधवार को स्वास्थ्य भवन में एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में डॉ. आदित्य ने शहर के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (जनता क्लिनिक) के चिकित्साधिकारियों, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और फार्मेसिस्ट की उपस्थिति में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्मिक समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहें और आमजन को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

महत्वपूर्ण समीक्षा : वैक्सिनेशन, प्रजनन जैसी सुविधाओं पर चर्चा

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने शहर में नियमित टीकाकरण अभियान को मजबूत करने तथा एचपीवी वैक्सीनेशन में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। शहर प्रभारी डॉ. कैलाश शर्मा ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए महिलाओं को विभिन्न साधनों से जोड़ने पर बल दिया।

उन्होंने जनता क्लिनिक पर आने वाले बुखार के मरीजों की सभी आवश्यक जांच और समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। जिला नोडल प्रभारी एनसीडी डॉ. प्रणव भावसार और डब्ल्यूएचओ कंसलटेंट डॉ. केतल ने 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की गैर संचारी रोगों (एनसीडी) की नियमित स्क्रीनिंग करने और रिकॉर्ड संधारण को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में गति लाना और जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करना था।

युवक की बीमारी से मौत, बैकुंठ धाम ने अंत्येष्टि की

उदयपुर | प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक लावारिस युवक की बीमारी से मौत हो गई। 6 दिन बाद भी उसकी पहचान नहीं होने पर बैकुंठ धाम संस्थान ने अंतिम संस्कार किया।

एएसआई चंदन सिंह ने बताया कि गत 14 मई को प्रतापनगर चौराहे पर वेल्डिंग की दुकान की पीछे गली में एक युवक बीमार हालत में मिला था।

उसे एमबी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार प्रयास के बाद भी उसकी पहचान नहीं हुई। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिर अंत्येष्टि के लिए शव बैकुंठ धाम संस्थान को सौंप दिया।

31 मई तक विशेष अभियान, दौसा में 50 लाख की अवैध बीयर जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार

सिटी रिपोर्टर | उदयपुर

प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा विशेष निरोधात्मक अभियान अब 31 मई तक जारी रहेगा।

आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेशभर में नाकाबंदी, गश्त और रेड की कार्रवाई लगातार तेज की गई है। इसी अभियान के तहत बुधवार को दौसा में आबकारी निरोधक दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 50 लाख रुपए कीमत की अवैध बीयर जब्त की है।

आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अलूदा रेस्ट एरिया के पास नाकाबंदी कर एक 10 चक्का ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक से फॉर सेल इन पंजाब ओनली मार्का की 1460 पेटी बीयर बरामद हुई। इसमें 780 पेटी टुबोर्ग ब्रांड और 680 पेटी किंगफिशर ब्रांड की बीयर शामिल है। कुल 35 हजार 40 बीयर कैन जब्त किए गए हैं। बरामद बीयर की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है।

कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक उत्तरप्रदेश निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।

इससे पहले उदयपुर, कोटा, जोधपुर, हनुमानगढ़ और जालोर में भी करोड़ों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की जा चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और अंतरराज्यीय अवैध परिवहन पर भी प्रभावी रोक लगी है। इससे सरकार को होने वाली राजस्व हानि पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

महिला पीहर गई, मकान से जेवर-नकदी चोरी

उदयपुर | भूपालपुरा थाने में एक महिला ने सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। इस दौरान वह पीहर गई हुई थी।

पुलिस के अनुसार दुर्गा नर्सरी रोड निवासी हर्ष राजे भटनागर ने रिपोर्ट दी कि 18 मई की शाम को वह घर पर ताला लगाकर पीहर गई थी। 19 मई की सुबह चालक कार लेने घर पहुंचा, तो मकान के ताले टूटे हुए थे। सूचना पर वह घर पहुंची। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। बेडरूम में रखी अलमारी का लॉक टूटा मिला। उसमें से सोने का डेढ़ तोले का सेट, आधा तोले की झुमकियां, 12 ग्राम की चैन, 50 हजार रुपए, दो मोबाइल गायब थे। चोर घर में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका निरीक्षण कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

युवक पर चाकू से हमला, केस दर्ज

उदयपुर | भूपालपुरा थाना क्षेत्र में युवक ने बदमाश के खिलाफ भांजे पर चाकू से हमला करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस अनुसार आयड़ के शबरी कॉलोनी निवासी सैजाद हुसैन ने रिपोर्ट दी कि 19 मई की शाम करीब 6 बजे वह कॉलोनी की गली नंबर-3 में भांजे जोइम रजा के साथ खड़े थे। तभी आदिल उर्फ टफ्का ने आकर भांजे से गाली-गलौज की। फिर अचानक चाकू से हमला कर दिया। इससे भांजा घायल हो गया। बीच-बचाव के दौरान उन्हें भी चोटें आईं। शोर मचाने पर बदमाश भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घर में घुसकर मां-बेटी को पीटा, केस दर्ज

उदयपुर। रामपुरा (अंबामाता थाना) में कचरे के विवाद को लेकर पड़ोसी पिता-पुत्र द्वारा घर में घुसकर मां-बेटी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता सीमा पाठक की रिपोर्ट अनुसार, 19 मई शाम को पड़ोसी वीरेंद्र हिंडोलिया, उसके बेटे शैलेंद्र ने घर में घुसकर खाना बना रही उनकी बेटी को पीटा। बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस जांच कर रही है।

जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आज : उदयपुर। जिला सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार 21 मई को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर गौरव अग्रवाल करेंगे।

प्रभारी अधिकारी एवं गिर्वा एसडीएम अवुला सांईकृष्ण ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक एवं जनसुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-नीउप/निमान रिकार्ड/2026/3543 आम-सूचना दिनांक : 19/5/2026

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारिसान के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम/पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1	20 (MUT NO. 467)	1742	[illegible] 587, 588	[illegible]	[illegible] 02.09.2023 [illegible] 19.07.2008 [illegible] 27.03.2026 [illegible]

[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत मादडा पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.प.मा./स्वा. योजना/2026-27/17 दिनांक : 19.05.2026

:: आपत्ति आमंत्रण सूचना ::

ग्राम पंचायत मादडा के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त राजस्व ग्राम बिलडिया, चुण्डावतों का खेडा सर्वे प्रपत्र एवं नक्शा 2.0 को आमजन के लिए प्रदर्शित किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। साथ ही उक्त सर्वे प्रपत्र तथा नक्शा ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रत्येक परिवार के विवरण मय भूमि नक्शा सहित सर्वे ग्रामजन हेतु अवलोकनार्थ भी उपलब्ध है। आबादी भूमि की सीमा अथवा नक्शे में ड्रोन सर्वे द्वारा प्रदर्शित प्रॉपर्टीज की सीमा एवं नाम के संबंध में इस सर्वे प्रपत्र एवं नक्शा 2.0 में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/संशोधन हेतु आपत्तियां ग्राम पंचायत कार्यालय में 07 दिवस के भीतर में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आज दिनांक से पूर्व कोई भी पट्टा आपके पास उपलब्ध हो तो उसकी प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करायें ताकि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर प्रापर्टी कार्ड वितरण की कार्यवाही की जा सके। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रशासक, ग्राम पंचायत मादडा, पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मादडा, पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत झेड़ पं.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- ग्रा.पं./निविदा/2026-27/25 दिनांक - 20.5.2026

-: निविदा सूचना-2026-27 :-

ग्राम पंचायत झेड़ पंचायत समिति कोटडा में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं ई प्रोक्योरमेन्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB No: ZUD2627A0599, ZUD2627WSRC00827

प्रशासक, ग्राम पंचायत झेड़, पं.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झेड़, पं.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बिरोठा, पटवार क्षेत्र काया, तहसील-गिर्वा, हाल बड़गांव, जिला-उदयपुर के आराजी संख्या 7100/7089, 3242, 3298, 7076/3301, 3300, 7073/3301, 7086/3299, 7087/3299, 7099/7089, 7088/3241, 3277, 3285, 3296 कुल किता 13 कुल रकबा 1.1002 हैक्टेयर जिसका सम्पूर्ण हिस्सा तथा आराजी संख्या 3112 मी., 3114 मी., 3116 मी., 3785 मी., 3786 मी., 3788 मी., 3789 मी., 3790 मी., 3796 मी., 3798 मी. कुल किता 10 कुल रकबा 0.8050 हैक्टेयर जिसमें से 1/8 वां हिस्सा, आराजी संख्या 2926 से 2952, 3142, 3144, 3145, 3176, 3177, 3178, 3244, 3245, 3247, 3248 से 3252, 3288, 3289, 3297, 3303, 3304, 3307, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3781, 3782, 3783, 3784, 3976, 3977 कुल किता 38 कुल रकबा 5.7100 हैक्टेयर जिसमें से 1/8 वां हिस्सा [illegible] जरिये विक्रय-इकरार दिनांक 30-11-2024 को क्रय कर रखी है। उक्त विक्रय-इकरार की पालना में उक्त भूमि की रजिस्ट्री की कार्यवाही की जानी है। [illegible] आम सूचना पत्र के 07 दिवस में [illegible]

दिनांक 20-05-2026 [illegible], एडवोकेट, 12, गणेश नगर, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर मो: 9828443466

कार्यालय ग्राम पंचायत कुकडाखेडा पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं.कु. खेडा/स्वा. योजना/2026-27/14 दिनांक : 19.05.2026

:: आपत्ति आमंत्रण सूचना ::

ग्राम पंचायत कुकडाखेडा के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त राजस्व ग्राम डेडकिया, मालावरी सर्वे प्रपत्र एवं नक्शा 2.0 को आमजन के लिए प्रदर्शित किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। साथ ही उक्त सर्वे प्रपत्र तथा नक्शा ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रत्येक परिवार के विवरण मय भूमि नक्शा सहित सर्वे ग्रामजन हेतु अवलोकनार्थ भी उपलब्ध है। आबादी भूमि की सीमा अथवा नक्शे में ड्रोन सर्वे द्वारा प्रदर्शित प्रॉपर्टीज की सीमा एवं नाम के संबंध में इस सर्वे प्रपत्र एवं नक्शा 2.0 में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/संशोधन हेतु आपत्तियां ग्राम पंचायत कार्यालय में 07 दिवस के भीतर में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आज दिनांक से पूर्व कोई भी पट्टा आपके पास उपलब्ध हो तो उसकी प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करायें ताकि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर प्रापर्टी कार्ड वितरण की कार्यवाही की जा सके। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रशासक, ग्राम पंचायत कुकडाखेडा, पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुकडाखेडा, पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय पंचायत समिति देवगढ़, जिला-राजसमंद (राज.)

क्रमांक/पसदे/लेखा/ निविदा/2026-27/161 दिनांक :- 15/5/2026

सीमित निविदा सूचना - 04

पंचायत समिति देवगढ के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो में स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राजस्थान पंचायजी राज नियम 1996 के नियम 181 के तहत पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठन में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदको से निविदाएं दिनांक 29/05/26 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा संबंधित शर्ते / जानकारी / आवेदन पत्र कार्यालय समय में देखी व प्राप्त की जा सकती है एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No. ZRR2627WSRC00250 to 260 NIB No. ZRR2627A0086

प्रशासक, पंचायत समिति देवगढ़
विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ़

पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के एकल और समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	समेकित: समाप्त तिमाही 31.03.2026 अंकेक्षित	31.12.2025 अन-अंकेक्षित	31.03.2025 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2026 अंकेक्षित	31.03.2025 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय	16,408	14,424	18,605	70,244	83,220
ईबीआइटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई)	3,373	3,027	4,569	17,053	21,833
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	3,025	2,578	4,322	15,930	21,420
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	(20)	1,051	–	1,031	–
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	3,005	3,629	4,322	16,961	21,420
कर के पश्चात् लाभ (पीएटी)	2,002	3,113	3,305	13,208	16,602
कुल व्यापक आय	1,596	3,191	3,782	13,004	16,497
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1/- का अंकित मूल्य)	152	152	152	152	152
समाप्त वर्ष के अनुसार कुल भंडार 31 मार्च				112,153	101,418
प्रति शेयर आय*					
मूलभूत (₹)	13.20	20.52	21.79	87.06	109.44
मिश्रित (₹)	13.20	20.52	21.78	87.06	109.42
विवरण	**एकल**				
परिचालनों से कुल आय	14,625	13,459	17,164	64,904	78,718
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	3,696	3,655	5,058	19,312	23,957
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	(1,117)	(206)	–	(1,323)	–
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2,579	3,449	5,058	17,989	23,957
कर के पश्चात् लाभ (पीएटी)	1,978	2,816	3,858	14,348	18,665

*तिमाही के लिए वास्तविक, वार्षिकीकृत नहीं

टिप्पणियां :

1. उपरोक्त मार्च 31, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के एकल और समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जो सेबी के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वैबसाइट (www.piindustries.com) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई और मई 19, 2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
3. 19 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इसके साथ, वर्ष के लिए कुल लाभांश (जिसमें वर्ष के दौरान दिया गया प्रति इक्विटी शेयर ₹5 का अंतरिम लाभांश शामिल है) प्रति शेयर ₹15 हो जाता है।

स्थान: मुम्बई
दिनांक: मई 19, 2026
पंजीकृत कार्यालय: उदयसागर रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)
फोन: 0294 6651100 फैक्स: 0294 2491946
सीआईएन: L24211RJ1946PLC000469

कृते पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
हस्ता/-
मयंक सिंघल
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00006651

अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राहुल मांगे माफी : सीएम

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमितशाह पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निदंनीय है। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति उपयोग किए गए शब्द कांग्रेस की हताशा और पतन को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसिक संतुलन खो चुका विपक्ष समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। अमर्यादित शब्दों से देश के सर्वोच्च पदों और देशवासियों की भावनाओं का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

चंबल में अवैध खनन : कोर्ट ने राजस्थान के प्रस्तावित मॉडल की भी सराहना की

सुप्रीम कोर्ट सख्त...कहा, कागज नहीं, जमीन पर दिखे असर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन और इससे जलीय व वन्यजीवों पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की कार्रवाई की सराहना की है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान जो मॉडल विकसित कर रहा है, वह भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकता है।

हालांकि, न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने साफ कहा कि कोर्ट केवल योजनाओं, बैठकों और हलफनामों से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि इसका वास्तविक असर जमीन पर दिखना चाहिए। इस संबंध में कोर्ट 26 मई को विस्तृत आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर और फील्ड स्टाफ की संख्या बढ़ाने तथा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

राजस्थान सरकार की अब तक की कार्रवाई

प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि गृह, वन, खान, परिवहन, वित्त और विधि विभागों के बीच निरंतर बैठकों के बाद जमीनी स्तर पर व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जा चुकी हैं। पुलिस, वन, खान, परिवहन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

तकनीकी निगरानी

वन विभाग ने हलफनामे में बताया कि अभयारण्य क्षेत्र के 40 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है, जहां एआइ आधारित हाई-रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, डंपर आदि सभी वाहनों में जीपीएस लगाने का काम शुरू हो चुका है। वित्त विभाग ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए तकनीकी निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 65.47 करोड़ की स्वीकृति दी है।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त

गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं देने को माना संवैधानिक उल्लंघन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं देने को गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना है। कोर्ट ने कहा कि रिमांड देते समय मजिस्ट्रेट को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने झबरा राम नामक आरोपी को जमानत देते हुए स्पष्ट कहा कि लिखित आधार न देने से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है। पोकरण निवासी झबरा राम पर पाकिस्तानी हैंडलर्स को व्हाट्सऐप और अन्य माध्यमों से सैन्य प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आर.बी. शर्मा कहा कि गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन है। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड और केस डायरी का अध्ययन करने के बाद पाया कि जांच एजेंसी वास्तव में आरोपी को गिरफ्तारी के विधिक आधार लिखित में देने में पूरी तरह विफल रही।

आइओ और पीपी पर कार्रवाई करें: कोर्ट ने आदेश की प्रति राजस्थान के महानिदेशक पुलिस और निदेशक अभियोजन को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि संबंधित जांच अधिकारी और लोक अभियोजक के खिलाफ विभागीय व उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

अधीनस्थ कोर्ट को भेजें प्रति

कोर्ट ने पाया कि संबंधित मजिस्ट्रेट (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, जयपुर महानगर-प्रथम) ने भी रिमांड आवेदन पर विचार करते समय इस बात की तस्दीक नहीं की कि आरोपी को गिरफ्तारी के कारण नियमानुसार सूचित किए गए हैं या नहीं। इसी वजह से रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई के संबंध में उचित निर्णय और कार्रवाई के लिए इस आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश दिया गया है कि वे राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को इस आदेश की प्रति भेजकर जागरूक और संवेदनशील बनाएं, ताकि भविष्य में गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी न हो।

केंद्र के नए कचरा प्रबंधन नियमों पर प्रदेश के सभी निकायों में काम शुरू

बड़े होटल-अस्पताल, यूनिवर्सिटी, मॉल और कॉलेज अब खुद संभालेंगे कचरा

■ मास्टर प्लान में होगी कचरा प्रोसेसिंग के लिए जमीन की व्यवस्था

■ दावा: कम्पोस्टिंग, बायोगैस व रिसाइक्लिंग को मिलेगा बढ़ावा

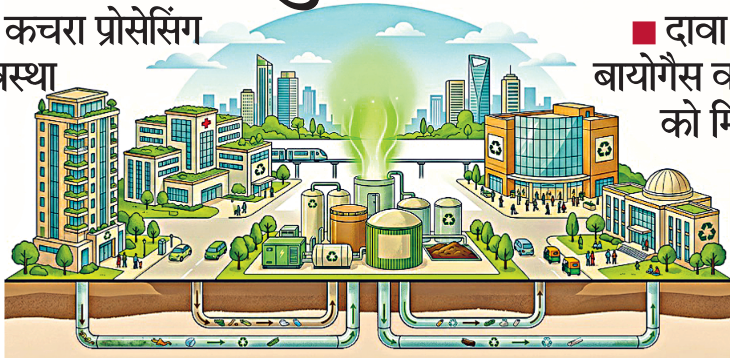

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. बड़े होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, इंडस्ट्री और आवासीय सोसायटियों को अब अपने परिसर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण काफी हद तक खुद करना होगा। केंद्र सरकार के नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू होने के बाद प्रदेश में इन्हें प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नगरीय निकायों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

नए नियमों में कचरा उत्पादक संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, अस्पताल, बड़े संस्थान, मैरिज गार्डन, गेटेड कॉलोनी और इंडस्ट्रीज को 'बड़े कचरा उत्पादक' की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें संचालन के लिए विशेष प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके पीछे उद्देश्य लैंडफिल में जाने वाले कचरे को कम करना और कम्पोस्टिंग, बायोगैस व रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है।

हर शहर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की अलग नीति और रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि शहर में कितना कचरा निकल रहा है, उसके निस्तारण के लिए कितनी जमीन और सुविधाओं की जरूरत है और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट कहां लगाए जाएंगे।

मास्टर प्लान में होगी वेस्ट प्रोसेसिंग व्यवस्था

स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार हर शहर के मास्टर प्लान में कचरा प्रोसेसिंग और निस्तारण के लिए जमीन और जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। जिन शहरों में कचरा प्रबंधन या क्षेत्रीय लैंडफिल की व्यवस्था है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी शहरों को 30 सितंबर तक अपने मास्टर प्लान अपडेट करने होंगे। साथ ही बड़े आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत प्रोजेक्ट्स में कचरा पृथक्करण, भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए अलग जगह तय करना जरूरी होगा।

ये आएंगे दायरे में

- 20 हजार वर्गमीटर या उससे बड़े भवन
- 40 हजार लीटर से अधिक पानी का प्रतिदिन उपयोग करने वाले संस्थान
- 100 किलो या उससे अधिक कचरा रोजाना पैदा करने वाले संस्थान
- **होटल,** मॉल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, छात्रावास, नर्सिंग होम, ऑडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल, एक्सपो सेंटर इंडस्ट्री, स्टेडियम, मैरिज गार्डन, बड़े बाजार, केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, निजी कंपनियां और आवासीय सोसायटियां।

एक साल में करनी होगी व्यवस्था

5000 वर्गमीटर से बड़े होटल, रेस्टोरेंट, टाउन शिप को एक वर्ष के भीतर स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करनी होगी। परिसर में कम्पोस्टिंग यूनिट, बायोगैस प्लांट या अन्य प्रोसेसिंग सिस्टम लगाने होंगे। हालांकि, मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज में भी कई जगह प्रावधान हैं।

वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे विकसित

बड़े संस्थानों को अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करनी होगी। इससे कम्पोस्टिंग, बायोगैस और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निकायों के साथ मिलकर शहरों में आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किए जाएंगे, ताकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण दोनों सुनिश्चित हो सकें।
-रवि जैन, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

एनएसयूआइ का मार्च, एनटीए को बैन करने की मांग

जयपुर @ पत्रिका. नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते कथित भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में बुधवार को एनएसयूआइ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी चौराहे तक छात्र विरोध मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एनटीए बैन करो, पेपर लीक बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। इस दौरान विनोद जाखड़ ने कहा कि यह विरोध उन छात्रों की आवाज है, जिनका भविष्य सरकार की लापरवाही और पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए पूरी तरह विफल साबित हुई है और इसे तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। संगठन ने मांग की कि आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिवारों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिजन को सरकारी नौकरी और भाई-बहनों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

भाजपा मुख्यालय का कांग्रेस आज करेगी घेराव

जयपुर. नीट-2026 पेपरलीक मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होने वाले विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक शामिल होंगे। पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एकत्रित होंगे।

युवा कांग्रेस चुनाव | ऑनलाइन चुनाव प्रक्रिया में टूटे पिछले सभी रेकॉर्ड

34 लाख ने किया वोट, पार्टी को ₹25 करोड़ मिले

सदस्यता शुल्क आज शाम तक कराया जा सकेगा जमा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव में इस बार मतदान ने सभी पुराने रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए करीब एक माह से चल रही ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया बुधवार शाम 5 बजे पूरी हो गई। इस बार रेकॉर्ड 34,33,012 युवाओं ने मतदान में भाग लिया। हालांकि सदस्य बनने के बाद शुल्क जमा नहीं करा सके युवाओं को गुरुवार शाम 5 बजे तक शुल्क जमा कराने का मौका दिया गया है। करीब 28,81,188 युवा सदस्यता शुल्क जमा करा चुके थे। अंतिम रूप से उन्हीं मतों को मान्य माना जाएगा, जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा हो जाएगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक वर्ष 2017 के युवा कांग्रेस चुनाव में करीब 16 लाख युवाओं ने मतदान किया था, जबकि वर्ष 2021 के चुनाव में 20 लाख से अधिक वोट पड़े थे।

सदस्यता शुल्क से अच्छी आय

प्रदेश में युवा कांग्रेस के छह प्रमुख पदों के लिए चुनाव हुए। इनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पद शामिल हैं। चुनाव में वही युवा मतदान कर सका, जिसने 75 रुपए शुल्क जमा कर सदस्यता ली। करीब 34.33 लाख सदस्य बनने से कांग्रेस को सदस्यता शुल्क के रूप में 25 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। चुनाव को लेकर प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में रहे और सभी ने अपने-अपने पैनल के समर्थन में व्यापक प्रचार अभियान चलाया।

वोट के लिए गांव-गांव पहुंचे उम्मीदवार

युवा कांग्रेस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों ने इस बार निचले स्तर तक संगठनात्मक नेटवर्क खड़ा किया। ऑनलाइन मतदान में अधिक से अधिक वोट जुटाने के लिए उम्मीदवार पूरे महीने गांव-गांव तक पहुंचे। चर्चा यह भी रही कि कई उम्मीदवारों ने खुद युवा सदस्य बनवाने के साथ उनका सदस्यता शुल्क भी जमा कराया।

पेज एक का शेष...

जानवर...

इससे पहले फरवरी और मार्च में जिले के गोगुन्दा और घासा क्षेत्र में किसान और चरवाहे पर पैंथर का हमला सामने आया था। उदयपुर शहर में दिसंबर 2025 में कृष्णापुरा कॉलोनी में पैंथर घुस गया था, जिसे घर के अंदर से रेक्यू करने में 8 घंटे लगे। इसी तरह से सज्जनगढ़ क्षेत्र, प्रतापनगर, गोवर्धनविलास, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आदि आवासीय क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही देखी जाती रही है। ज्यादातर बार सीसीटीवी फुटेज में पैंथर देखा गया, ऐसे में कई दिनों तक लोग शाम के बाद घरों से निकलने से बचते रहे हैं।

जयपुर में हुआ था ऐसा: गत वर्ष 14 नवंबर को जयपुर के नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पास गुर्जरघाटी क्षेत्र में आबादी में पहुंचे एक लेपर्ड पर लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल लेपर्ड की अगले दिन मौत हो गई। वन विभाग ने मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि विभाग ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

जैकेट से जारी...

भारत...

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी मौजूद थे। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इतालवी राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात की और दोनों देशों के व्यापार और दोस्ती से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। इनमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों में प्रगति शामिल है। उन्होंने एआइ, खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सहयोग पर भी चर्चा की।

पीएम मोदी एग्रीकोला मेडल से सम्मानित: एफएओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 के लिए एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। एफएओ के महानिदेशक डॉ. क्यू डोंग्यू ने कहा, यह पदक कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए दिया गया है।

आपका...

आपने अंबेडकर पर हमला किया। आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, ये बातें आप उनसे खुलकर कह दीजिए।' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अडानी, अंबानी और अमरीका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और मोदी और सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेंगे, आपसे कहेंगे, रोएंगे, जैसे कोविड के समय रोया था। जैसे नोटबंदी के समय रोया था। कहेंगे मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। क्योंकि इन्होंने इसको (संविधान की किताब दिखाते हुए) खत्म किया है।

लगातार...

क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है? क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? उन्होंने कहा, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन को गिरवी रखने का काम किया? उन्होंने कहा कि, मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में, जहां शिष्टाचार और सामाजिक सद्भाव एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान से जुड़े हुए हैं, उनका बयान वास्तव में खेदजनक है।

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त "A" ग्रेड राज्य विश्वविद्यालय
पत्रांक: PRC/MLSU/2026&27/ दिनांक: 20.05.2026
वॉक–इन–साक्षात्कार
योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (PRC), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में एल.डी.सी. सह लेखाकार पद (पूर्णतः संविदात्मक आधार पर) हेतु आयोजित वॉक–इन–साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाता है। यह साक्षात्कार **दिनांक 08-06-2026 को प्रातः 08:00 बजे से, MLSU** अतिथि गृह में आयोजित किया जाएगा।
आवेदन पत्र, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, शुल्क एवं अन्य विवरण दिनांक 14-05-2026 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर उपलब्ध होंगे।
मानद निदेशक

पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के एकल और समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	समेकित				
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
	अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय	16,408	14,424	18,605	70,244	83,220
ईबीआइटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई)	3,373	3,027	4,569	17,053	21,833
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	3,025	2,578	4,322	15,930	21,420
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	(20)	1,051	—	1,031	—
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	3,005	3,629	4,322	16,961	21,420
कर के पश्चात् लाभ (पीएटी)	2,002	3,113	3,305	13,208	16,602
कुल व्यापक आय	1,596	3,191	3,782	13,004	16,497
प्रद्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1/- का अंकित मूल्य)	152	152	152	152	152
समाप्त वर्ष के अनुसार कुल भंडार 31 मार्च				112,153	101,418
प्रति शेयर आय*					
मूलभूत (₹)	13.20	20.52	21.79	87.06	109.44
मिश्रित (₹)	13.20	20.52	21.78	87.06	109.42

विवरण	एकल				
परिचालनों से कुल आय	14,625	13,459	17,164	64,904	78,718
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	3,696	3,655	5,058	19,312	23,957
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	(1,117)	(206)	—	(1,323)	—
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2,579	3,449	5,058	17,989	23,957
कर के पश्चात् लाभ (पीएटी)	1,978	2,816	3,858	14,348	18,665

*तिमाही के लिए वास्तविक, वार्षिकीकृत नहीं

टिप्पणियां :
1. उपरोक्त मार्च 31, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के एकल और समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जो सेबी के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वैबसाइट (www.piindustries.com) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई और मई 19, 2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
3. 19 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इसके साथ, वर्ष के लिए कुल लाभांश (जिसमें वर्ष के दौरान दिया गया प्रति इक्विटी शेयर ₹5 का अंतरिम लाभांश शामिल है) प्रति शेयर ₹15 हो जाता है।

स्थानः मुम्बई
दिनांकः मई 19, 2026
पंजीकृत कार्यालयः उदयसागर रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)
फोनः 0294 6651100 फैक्सः 0294 2491946
सीआईएनः L24211RJ1946PLC000469

कृते पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
हस्ता/–
मयंक सिंघल
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00006651